



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-31032022-234732
CG-DL-E-31032022-234732

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1482]
No. 1482]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 31, 2022/चैत्र 10, 1944
NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 31, 2022/CHAITRA 10, 1944

श्रम और रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 मार्च, 2022

का.आ. 1534(अ).—केन्द्रीय सरकार, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 1 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 1 अप्रैल, 2022 को उस तारीख के रूप में नियत करती है जिसको उक्त अधिनियम के उपबंध तमिलनाडु राज्य के नागपट्टिनम जिले के सभी क्षेत्रों में प्रवृत्त होंगे, अर्थात्,—

- (i) अध्याय 4 की धारा 38, धारा 39, धारा 40, धारा 41, धारा 42, धारा 43 और धारा 45क से धारा 45ज तक;
- (ii) अध्याय 5 की धारा 46 से धारा 73 तक; और
- (iii) अध्याय 6 की धारा 74, धारा 75, धारा 76 की उपधारा (2) से उपधारा (4) तक, धारा 80, धारा 82 और धारा 83।

[फा. सं. एस-38013/01/2022-एस.एस-I]

आर. के. गुप्ता, संयुक्त सचिव,

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT**NOTIFICATION**

New Delhi, the 31st March, 2022

S.O. 1534(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 1 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), the Central Government hereby appoints the 1st day of April, 2022, as the date on which the provisions of the said Act, namely,—

- (i) sections 38, 39, 40, 41, 42, 43 and sections 45A to 45H of Chapter IV;
- (ii) sections 46 to 73 of Chapter V; and
- (iii) sections 74, 75, sub-sections (2) to (4) of section 76, 80, 82 and 83 of Chapter VI;

shall come into force in all the areas of Nagapattinam district in the State of Tamil Nadu.

[F. No. S-38013/01/2022-SS.-I]

R. K. GUPTA, Jt. Secy.